

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 29 मई, 2025

विषय: महान विभूतियों के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके जनपद में ऐसी ज्ञात एवं अज्ञात विभूतियों/महात्मा/सन्त/सद्गुरु, जिन्होंने स्थानीय समाज में भाई-चारे की भावनाओं को विकसित करने तथा विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आपसी मेल मिलाप के माहौल को सुदृढ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो, किन्तु धनाभाव के कारण जिनको अपेक्षित पहचान न मिल पाई हो, के जन्म दिन मनाये जाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों या जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति जनपद ₹0 35,000/- (₹0 पैंतीस हजार मात्र) की दर से अर्थात् कुल रुपये 26,25,000/- (रुपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने/नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जनपद स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रकार किया जाय कि जनपद के मुख्यालय के साथ-साथ जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी साम्प्रदायिक सद्भाव व आपसी भाईचारे की भावना प्रबल हो सके।

3- आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये तथा प्रत्येक आहरण की डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही, व्यय का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31-03-2026 से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् आंकड़ों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को 31-03-2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 26,25,000/- (रुपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-53 लेखा शीर्षक 2070008000800 महान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

विभूतियों के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव कार्यक्रमों का आयोजन 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च 2025 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Digitally signed by

JITENDRA KUMAR

(जितेन्द्र कुमार)

Date: 21-05-2025

अपर मुख्य सचिव ।

15:07:10

संख्या-132(U)/40-2025/001-3-budget-2-2025तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- (2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (नोडल अधिकारी)।
- (3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 , प्रयागराज।
- (4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 , प्रयागराज ।
- (5) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, प्रयागराज ।
- (6) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- (8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (9) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (10) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)

अपर मुख्य सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।